

न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 03/2022 आवंटन निरस्त

- | | | |
|--|------|--|
| 1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार
बदनोर जिला भीलवाड़ा | बनाम | 1. प्यारी पत्नी मोती गुर्जर
2. भंवरी पत्नी गोपाल गुर्जर
3. संतोकी पत्नी दूदा गुर्जर
4. राधा पत्नी श्रवण गुर्जर निवासीयान रायरा
तहसील बदनोर जिला भीलवाड़ा |
|--|------|--|

—प्रार्थी

—विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कमाण्ड क्षेत्र में आवंटन नियम 1970 के नियम 17(4)

उपस्थित —

1. राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षीगण स्वयं उपस्थित


निर्णय

दिनांक 16.08.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कमाण्ड क्षेत्र में आवंटन नियम 1970 के नियम 17(4) के अन्तर्गत विपक्षी के विरुद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम रायरा की आ.न. 2175/1911 रकबा 0.30 हैक्ट. भूमि को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटि (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटि का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण की ओर से जवाब पेश किया गया। दौराने बहस विपक्षीगण स्वयं उपस्थित। प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम रायरा की आ.न. 2175/1911 कुल रकबा 0.30 हैक्ट. भूमि को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटि (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटि का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।


अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

विपक्षीगण ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजी पर उनका कब्जा नहीं है। प्रश्नगत आराजी नंबर 2175/1911 रकबा 0.30 हैक्ट. वर्तमान में रास्ता हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 17(4) कमाण्ड क्षेत्र में आवंटन निरस्त करवाने का स्वीकार किया जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।


प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम रायरा के आ.न. 2175/1911 रकबा 0.30 हैक्ट. भूमि मौके पर आवंटी का कब्जा काशत नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी है। विपक्षीगण स्वयं ने भी जवाब प्रस्तुत कर, उक्त प्रश्नगत आराजी पर कब्जा नहीं माना है तथा प्रश्नगत आराजी बिलानाम सरकार कर दिये जाने हेतु निवेदन किया है। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा भू आवंटन नियम 1970 के नियम 17(4) की पालना नहीं की जाना स्पष्ट होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 17(4) स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव—

आदेश

प्रार्थी की ओर से कमाण्ड क्षेत्र में आवंटन निरस्तीकरण हेतु नियम 1970 के नियम 17(4) का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के नाम आवंटित ग्राम रायरा के आराजी नं. 2175/1911 रकबा 0.30 हैक्ट. भूमि आवंटन को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार बदनोर को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम रायरा की आ.न. 2175/1911 रकबा 0.30 हैक्ट. भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बदनोर को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भिलवाड़ा